सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा /निर्देश-नीति दिशा/परामर्शी/ 2026
नीति परिपत्र संख्या 10.2.46/2026 दिनांक 11th फरवरी, 2026
{ई ऑफिस फ़ाइल संख्या-SRD-TI-11019/4/2026-SRD-TI कंप्यूटर संख्या)307216 पर लिया गया निर्णय}

NHAI/Policy Guidelines/Consultancy/2026
Policy Circular No. 10.2.46/2026 dated 11th February, 2026
{Decision taken on E-Office File No. SRD-TI-11019/4/2026-SRD-TI(Comp. No.307216)}

विषय: **प्राधिकरण अभियंता और स्वतंत्र अभियंता की परामर्शी सेवाओं के प्रापण के लिए मानक आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन के संदर्भ में।**
Sub: **Amendment to Standard RFP document for Procurement of Consultancy Services of Authority Engineer and Independent Engineer-reg**

ईसी की 595वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि एई/आईई फर्मों द्वारा तैनात किए जाने वाले उप-पेशेवर इंजीनियरी कर्मचारियों में से कम से कम 10% भाराराप्रा /सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में पूर्व में कार्यरत साइट अभियंता या युवा पेशेवर होने चाहिए और प्रमुख कर्मियों का न्यूनतम पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

EC in its 595th Meeting had decided that minimum 10% of Sub-Professional Engineering Staff to be deployed by AE/IE firms should be from previously engaged Site Engineers or Young Professionals in NHAI/MoRTH/NHIDCL and their minimum remuneration of the Key-Personnel should also be fixed.

2. भाराराप्रा ने दिनांक 02.02.2026 के नीति परिपत्र संख्या 1.3.3.30/2026 के माध्यम से "साइट अभियंता" की नियुक्ति के लिए संशोधित नीति जारी की है, जिसमें साइट अभियंता की तैनाती की अवधि 5 वर्ष तक सीमित कर दी गई है।

NHAI vide Policy Circular No. 1.3.3.30/2026 dated 02.02.2026 has issued the revised policy for engagement of “Site Engineers” wherein the tenure of deployment of Site Engineer has been limited to 5 Years.

3. एनएचएआई परियोजनाओं में साइट अभियंताओं की सेवाओं का लाभप्रद उपयोग करने और अनुभवी साइट अभियंताओं को इंजीनियरी परमर्शदाताओं से उपयुक्त रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, एई/आईई आरएफपी (697वीं ईसी में लिया गया निर्णय) के खंड 4.2 (डी) और 6.2 (ई) के रूप में जीसीसी में निम्नलिखित संशोधन जोड़ा गया है:

“4.2 - कार्मिकों का विवरण...

> **4.2 (डी)** - एई/आईई फर्मों द्वारा तैनात किए जाने वाले उप-पेशेवर इंजीनियरी कर्मचारियों में से न्यूनतम 10% भाराराप्रा /सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में पूर्व में कार्यरत साइट अभियंता या युवा पेशेवर होने चाहिए।”

Contd....2/-

"6.2 - पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति योग्य व्यय...

6.2 (ई) - खंड 4.2 (डी) में उल्लिखित उम्मीदवारों और साइट अभियंता/वाईपी के रूप में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 1.50 लाख रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेतन नामित कर्मचारी के खाते में जमा हो, परामर्शदाता और प्राधिकरण के बीच एक एस्क्रो व्यवस्था स्थापित की जानी आवश्यक होगी।"

In order to gainfully utilise the services of Site Engineers at NHAI Projects and to facilitate the experienced Site Engineers to get suitable employment opportunities from Engineering Consultants, the following amendment is added to GCC as Clause 4.2 (d) & 6.2 (e) of AE/IE RFP (decision taken in 697th EC):

"***4.2 - Description of Personnel...***

4.2 (d) - *Minimum 10% of Sub-Professional Engineering Staff to be deployed by AE/IE firms shall be from previously engaged Site Engineers or Young Professionals in NHAI/MoRTH/NHIDCL."*

*"**6.2 - Remuneration and Reimbursable Expenditures...***

***6.2 (e)** – For candidates as mandated at Cl. 4.2 (d) and such candidates with 5 years or more years of experience as Site Engineers/YPs shall be paid a Minimum Monthly remuneration of Rs. 1.50 lakhs. In order to ensure that the salaries are credited to the account of the designated employee, an escrow mechanism shall have to be established between the Consultant and Authority."*

4. इसके अलावा, मौजूदा एई/आईई परामर्शी कार्यों में, परामर्शदाताओं को भाराराप्रा /सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में रिक्त उप-पेशेवर पदों पर पहले से तैनात साइट अभियंताओं या युवा पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

Further, in existing AE/IE Consultancy Assignments, Consultants may be encouraged to engage the previously deployed Site Engineers or Young Professionals in NHAI/MoRTH/NHIDCL in vacant Sub-Professional positions.

Contd....3/-

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

11/02/2026

(सीएस संजय कुमार .पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय)/ I/c Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालयसाइट कार्यालयों के सभी अधिकारी/सीएमयू/पीआईयू/आरओ/
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the circular on library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRTH for Kind Information